न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर (राज0)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
4/21	22.12.21	16.2.222

<u>उनवान</u>

(1) अकबर खान उम्र 28 वर्ष
(2) अजरूदीन उम्र 26 वर्ष
(3) इमरत खान उम्र 25 वर्ष पुत्रान रहीस खॉ
(4) असरी पत्नि स्वयं रहीस खॉ
(5) अपसीना पुत्री रहीस खॉ जाति मेव निवासीयान ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढ—बास जिला अलवर

:— प्रार्थीगण

बनाम

(1) सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ—बास जिला अलवर

:— अप्रार्थीगण

प्रार्थना धारा 136 आर0टी0 एक्ट

उपस्थितिः—1. श्री संजय यादव वकील प्रार्थी की ओर से।
2. प्रतिवादी का जवाब सरकार।

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील प्रार्थी ने प्रार्थन ा पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता/पति के कुदरती पिता का नाम श्री मुलफत खां था। प्रार्थी के पिता स्वयं श्री रहीस खां बचपन में ही आसीना के गोद चला गया यानि स्वयं रहीस खां आसीना का दत्तक पुत्र था। जो दिनांक 28—4—17 को फौत हो गया था। स्व0 रहीस खां आसीना के गोद जाने के पश्चात समस्त राजकीय रिकार्ड में रहीस खां दत्तक पुत्र आसीना दर्ज होता रहा है । राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, सरपंच पद पर निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र , बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक का नोड्यूज, बैकरहन का प्रपत्र , विधुत बिल, बयनामा दिनांक 4/8/1983 इन सभी दस्तावेजात में रहीस खां दत्तक पुत्र श्री आसीना दर्ज हो रहा है ताईद में इन सभी दस्तावेजात की फोटो प्रति सलग्न है ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

प्रार्थीगण के पिता श्री रहीस खां दत्तक पुत्र आसीना के दिनांक 28–4–2017 को फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण ने विरासत का नामान्तरण दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का में सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि ग्राम चामरोदा के खसरा संख्या 715 की बाबत जमाबन्दी में सही नाम रहीस खां दत्तक पुत्र श्री आसीना दर्ज है परन्तु खसरा सं0 670 की बाबत जमाबन्दी में रहीस खां पुत्र श्री आमीन दर्ज हो रहा है । यानि रहीस खां के पिता का नाम आसीना के बजाय आमीन गलत दर्ज हो रहा है । इसलिये इस आराजी का विरासत इंतकाल दर्ज नही हो पा रहा है । इसलिये प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष बाबत दुरूस्ती पेश किया जा रहा है । प्रार्थीगण के स्व0 पिता रहीस खां दत्तक पुत्र श्री आसीना के नाम ग्राम चामरोदा से लगता हुआ ग्राम बीचपुरी तह0 तिजारा में कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम रहीस खां दत्तक पुत्र श्री आसीन दर्ज ताईद में नकल जमाबन्दी पेंश है । प्रार्थीगण के पिता की वल्दीयत आसीना के बजाय आमीन दर्ज हो रही है जिसे दुरूस्त किये जाने से किसी दीगर के कोई हकूक भी प्रभावित नही होते है । बल्कि प्रार्थीगण के हकूको पर कुप्रभाव पड रहा है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बादगौर स्वीकार किया जाकर आराजी ख0सं0 670 वाकेग्राम चामरोदा की जमाबन्दी में दर्ज रहीस खां पुत्र आमीन के बजाय बाद दुरूस्ती रहीस खां पुत्र आसीन दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये जाने कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए जवाब पेश किया। पत्रावली वास्तें साक्ष्य प्रार्थी नियत की गई।

प्रार्थी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1,अजरूदीन पुत्र स्व0 श्री रहीस खां, पीडब्लू–2 इस्लाम पुत्र कल्लू, पीडब्लू–3 मजीद पुत्र बुद्धु, पीडब्लू–4 हाकमदीन पुत्र भुब्बल , पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में बयनामा दिनांक 4.8.83 , जिसमें प्रार्थी के पिता का सही नाम आसीन दर्ज है,जमाबंदी सवत 2068–71 में आसीन दर्ज है।पहचान पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम आसीन दर्ज है।आधार कार्ड, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक में आसीन, प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का सही नाम आसीन दर्ज है।तथा प्रार्थी के माता के मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम आसीन दर्ज है हाल जमाबंदी सवंत 2076–79 में प्रार्थी के पिता के पिता का नाम आसीन दर्ज है। पेश किये है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एव साक्ष्य व जवाब सरकार से साबित होता है कि आराजी ख0न0 670 वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास की जमाबंदी में रहीस खा पुत्र आमीन दर्ज हो रहा है। उसे हजफ किया जाकर रहीस खा पुत्र आसीन दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायायिक प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0 न0 670 वाके ग्राम चामरोदा की जमाबंदी में दर्ज रहीस खॉ पुत्र आमीन कलमजन किया जाकर रहीस खॉ पुत्र आसीन दर्ज किया जावे। तदनानुसार ही दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)